फर्द अहकाम

( नियम 26)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर**

**जिला हनुमानगढ**

राजेराम बनाम **विमला**

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 633 सन–2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारिख |
| --- | --- | --- |
| 13.07.2022 | वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2022 को पेश हो। | |
| 27/7/22 | वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से [illegible] कुमार अधिवक्ता उपस्थित वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर स्वीकारनामा पेश किया [illegible] पेश किया साक्ष्य वादी में [illegible] पेश किया [illegible] नहीं करना चाहते है पत्रावली हुक्म वास्ते दि. 2/8/22 को पेश हो | |
| 2/8/22 | बहस पक्षकारान उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8/8/2022 को पेश हो | |
| 8/8/22 | बहस पक्षकारान उपस्थित वाद वादी आपसी सहमति [illegible] के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो | |

Scanned with CamScanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 633 सन् 2022
उनवान :-

1. राजेराम पुत्र रामचन्द जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. विमला पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री रामचन्द्र जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08/8/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 83/75 की कुल 29.0330हैक में से 5387/232264 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 5387/232264 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 454/28 की कुल 14.3280हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3/8 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/24 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में रामचन्द्र पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज थी जो वादी का पिता है रामचन्द्र पुत्र उदाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 , 2 है जिनके नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता ने रोही मौजा खरसण्डी की भूमि में अपने हको का त्याग अपने पुत्र वादी के पक्ष में किया हुआ है व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं रामचन्द्र पुत्र उदाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 , 2 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी की माता/बहन है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति/ पिता रामचन्द्र पुत्र उदाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने रोही मौजा खरसण्डी में अपने हको का त्याग अपने पुत्रो के पक्ष में किया हुआ है व प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 83/75 की कुल 29.0330हैक में से 5387/232264 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 5387/232264 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 454/28 की कुल 14.3280हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3/8 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/24 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में रामचन्द्र पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज थी जो वादी का पिता है रामचन्द्र पुत्र उदाराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 , 2 है जिनके नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता ने रोही मौजा खरसण्डी की भूमि में अपने हको का त्याग अपने पुत्र वादी के पक्ष में किया हुआ है व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं रामचन्द्र पुत्र उदाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 83/75 की कुल 29.0330हैक में से 5387/232264 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 5387/232264 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 454/28 की कुल 14.3280हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 3/8 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/24 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता रामचन्द्र पुत्र उदाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा खरसण्डी की भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 83/75 की कुल 29.0330हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 454/28 की कुल 14.3280हैक भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी तथा वादी का नाम राजू के स्थान पर राजू उर्फ राजेराम व जाति जांगिड के स्थान पर सुथार की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. राजेराम पुत्र रामचन्द जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

**वादीगण**

बनाम

1. विमला पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री रामचन्द्र जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 633 सन 2022 निर्णय दिनांक–** 08/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 83/75 की कुल 29.0330हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 454/28 की कुल 14.3280हैक भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी तथा वादी का नाम राजू के स्थान पर राजू उर्फ राजेराम व जाति जांगिड के स्थान पर सुथार की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

Scanned with CamScanner